

प्राक्कलन बावत रायपुर कुमालडा कददूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 35 से घेना मोटर मोर्ग के निर्माण हेतु 4.165 है० वन भूमि के सापेक्ष परियोजना के आस-पास ग्राम घेना में 4.165 है० सिविल सोयम में क्षतिपूरक वनीकरण करना।

रायपुर रेंज-मसूरी वन प्रभाग वर्ष 2018-19.

जो०पी०ए० लो०रे० - 26° 22' 26.272" 78° 11' 33.173"
26° 22' 25.613" 78° 11' 58.651"

क्र०सं०	कार्य विवरण	ईकाई/सं०	ईकाई दर	धनराशि
1	सर्वे सीमांकन	प्रति है०	120.00	499.80
2	क्षेत्र की सफाई(झाड़ी कटान आदि)	प्रति है०	1578.00	6572.37
3	पत्थरों की कुलीवाल बनाना प्रति है० 84घ.मी.	प्रति घ.मी.	281.00	101809.26
4	कंटूर फर कार्य(प्रति है० 300 र.मी.)का खुदान	प्रति र.मी.	10.00	12495.00
5	अग्रिम मृदा कार्य (0.30x0.30x0.45) गद्डा खुदान	प्रति गद्डा	7.40	61642.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति है०	485.00	2020.02
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	प्रति पौध	5.93	49396.90
8	अन्य व्यय जैसे यन्त्र सयन्त्र औजार तेज करना	प्रति है०	489.00	2036.68
9	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य	34 नग	9150.00	1098100.00
	योग प्रथम चरण			346272.03
	द्वितीय चरण			
1	गद्डा भरान कार्य(0.30x0.30x0.45)	प्रति गद्डा	1.30	10829.00
2	कंटूर फरों में बीज बुआई(प्रति है० 300र.मी.)	प्रति र०मी०	0.80	999.60
3	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	1.05	8746.50
4	पौध दुलान वाहन से 98 किमी०	प्र०सै०पौ०	16.00	130614.40
5	पौध दुलान सिरबोझ 12 किमी०	प्र०सै०पौ०	169.00	168932.40
6	पौध रोपण थावला बन्दी	प्रति पौध	2.74	22824.20
7	निरीई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	3.00	24990.00
8	खाद व दवा पर व्यय	प्र०सै०पौ०	21.00	1749.30
9	देख रेख व रख रखव रोपण वर्ष में 9 माह कम से कम 10 प्रति है०	प्रति है०	618.30	23176.97
10	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलन पदार्थों को हटाना	प्रति है०	366.00	1528.55
11	सुरक्षा दीवाल/ घेरवाड़ के बाहर चार मीटर की पट्टी साफ करना	प्रति है०	277.00	1153.70
12	वृक्षारोपण से लाभवन्तित होने वाले अग्नि सुरक्षा, जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा उल्लेखीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना अ-प्रशिक्षण ब- प्रोत्साहन	ल०स० ल०स०	577.00 289.00	2403.20 1203.68
13	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध दुलान हेतु टोकरी सुतली, बोरी आदि कय करना वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पौलीथीन सीट कय करना वर्ष में दो-तीन बार फोटो ग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो का प्रचार प्रसार एवं डोक्यूमेंटस	प्रति है०	1327.00	5526.95
14	कन्टूर खाईयों में घास स्लिप का रोपण दुलान सहित एवं चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पुनरोत्पादित स्थानीय जैवविधता वृक्ष व झाड़ी प्रजातियों को संरक्षित रखने व रख-रखाव पर व्यय	प्रति है०	883.00	3677.69
	योग द्वितीय चरण	-	-	408356.14
	कुल योग प्रथम व द्वितीय चरण	-	-	754628.17
	तृतीय चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्रति है०	8244.00	34336.26

वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	प्रति है०	367.00	1528.55
सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्रति है०	277.00	1153.70
वृक्षारोपण से लाभवन्तित होने वाले अग्नि सुरक्षा, जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा उल्लेखीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना			
अ-प्रशिक्षण	प्रति है०	577.00	2403.20
ब-प्रोत्साहन	प्रति है०	289.00	1203.85
योग तृतीय चरण	—	—	40625.41
रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है०	9754.00	40625.41
रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है०	9754.00	40625.41
रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है०	9754.00	40625.41
रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है०	9754.00	40625.41
रोपण वर्ष के उपरान्त छठा वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है०	9754.00	40625.41
रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है०	9754.00	40625.41
रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है०	9754.00	40625.41
रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है०	9754.00	40625.41
रोपण वर्ष के उपरान्त दशम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है०	9754.00	40625.41
		कुल योग—	1160882.27
		या—	1160639.72

या - 1160639.72
11,60,640.00

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून
मसूरी वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग

प्रभालि डी. लि. २
कोष ५०५०
कोष ५०५०